न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस..

राजस्व आवेदन संख्या – 198/2024

उनवान

प्रार्थीगण

1.श्री जेताराम पुत्र पेमाराम
2.श्री वीरमाराम पुत्र पेमाराम
3.श्री मांगीलाल पुत्र पेमाराम
4.श्री नवलाराम पुत्र पेमाराम
5.श्रीमती गवरी पत्नी पेमाराम जाति जाट निवासी गेनाणी कडवासरों की ढाणी (खडीन) तहसील रामसर जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण

1.श्री अर्जुन पुत्र चोखा
2.श्री पारू पुत्र विसना
3.श्री वादू पुत्र विसना
4.श्री नेमा पुत्र अणदा
5.श्री सुखा पुत्र फौजा
6.श्री अणदाराम पुत्र रायमलराम
7.श्री खेताराम पुत्र जयराम
8.श्री दीपाराम पुत्र बींजाराम
9.श्री कुम्पां पुत्र शंकर
10.श्री भीमा पुत्र शंकर
11.श्री मगा पुत्र शंकरा
12.श्री हरजी पुत्र वीरा
13.श्री लखू पुत्र वीरा
14.श्री चौखा पुत्र वीरा जाति मेघवाल निवासी सियाणी तहसील रामसर
15.श्री आसुराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी गेनाणी कडवासरों की ढाणी (खडीन) तहसील रामसर जिला बाडमेर।
16. तहसीलदार रामसर

उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला-बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते नेखमबंदी

दिनांक :–**25.02.2026**

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक **12.12.2024** को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा **बगते की बेरी** पटवार मण्डल **भाचभर** , भूअनि खड़ीन के खसरा संख्या **377/192** रकबा **9.8258** हेक्टयर,किसम भूमि बा.सो. उनके खाते की कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विप्रार्थीगण पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य आराजियात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे कि प्रार्थी अपने खेत की पक्की नेखमबंदी कराना चाहते है। आवेदन स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन में यह तथ्य प्रमाणित है कि विवादित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खेत की कृषि भूमि की नेखमबंदी करवाने का हकदार है। विप्राथीगण को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी होने के बावजूद बाद तामिल विप्रार्थी संख्या 1 से 15 अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायाहित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर मौजा **बगते की बेरी** पटवार मण्डल **भाचभर** , भूअनि खड़ीन के खसरा संख्या **377/192** रकबा **9.8258** हेक्टयर भूमि बा.सो भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार रामसर को 1000/– अक्षरे रूपये एक हजार रूपये मात्र पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसील[illegible] है कि वे उपरोक्त आराजियात में किसी न्यायालय का स्थगन एवं मौके पर फसल खड़ी होने [illegible] नेखमबंदी की कार्यवाही नहीं की जावे। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी [illegible] दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए, मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर नेखमबंदी की [illegible] की जावे तथा उक्त [illegible] में दर्ज सभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.03.13 17:00:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, रामसर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण को लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में उक्त खसरें के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करवाये जावें। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकतानुसार तहसीलदार रामसर को संबंधित पुलिस थाने से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी की समयबद्ध पालना की जाकर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

यह आदेश आज दिनांक **25.02.2026** को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

(राम लाल मीणा)
उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक : रीडर / 2026 / 102-05

दिनांक : 25/2/2026

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर को भेजकर लेख है कि प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही कर 15 दिवस में पालना से न्यायालय को अवगत करावें।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन / रामसर।
3. प्राथीर्नी जेताराम पुत्र पेमाराम
4. विप्रार्थीगण अर्जून पुत्र चोखा वगेराह।

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

उपखण्ड अधिकारी
रामसर जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.03.13 17:00:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner